संख्या-284/2018/79/22-2-2018-17(204)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 अप्रैल, 2018***

विषय:-जिला कारागार, हरिद्वार में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जुवैर पुत्र श्री तुफैल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-950/प्रोबे0-5-दयायाचिका/333 दिनांक 08-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जुवैर पुत्र श्री तुफैल, निवासी-ग्राम-बजहेड़ी, थाना-नई मण्डी, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.1976 को 27 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम, गड़ासा, भाला, लाठियों एवं देशी पिस्तौल से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-98/1977 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302 /149, 323/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 21.11.1978 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.1998 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 15 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय से दोषमुक्त, 06 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से दोषमुक्त, 03 अन्य सहअभिक्त की मृत्यु, 02 अन्य सहअभियुक्त फार्म-ए पर रिहा, 01 अन्य सहअभियुक्त 65 वर्ष की आयु के आधार पर मुक्त किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.08.2016 तक 13 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 04 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जुवैर (बन्दी संख्या-5783) पुत्र श्री तुफैल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-284/2018/79(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in